राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 201/2021

निर्णय दिनांक 20.02.2025

उनवानः

1. सूरतसिंह उम्र 59 साल पुत्र स्व. श्री प्रहलादसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम जैतपुर तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

............वादी

बनाम

1. प्रहलादसिंह पुत्र श्री सेढा जाति अहीर निवासी जैतपुर तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ....मृतक
2. ईश्वरसिंह पुत्र स्व. प्रहलाद जाति अहीर निवासी जैतपुर तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
3. नागरमल पुत्र स्व. प्रहलाद जाति अहीर निवासी जैतपुर तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
4. गजानन्द पुत्र स्व. प्रहलाद जाति अहीर निवासी जैतपुर तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
5. भगवती पुत्री स्व. प्रहलाद जाति अहीर निवासी जैतपुर तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 हाल पत्नी हीरालाल जाति अहीर निवासी फतेहपुर तहसील अटेली जिला महेन्द्रगढ हरि0
6. शीला पुत्री स्व. प्रहलाद जाति अहीर निवासी जैतपुर तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 हाल पत्नी सुभाष जाति अहीर निवासी सांसेडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
7. उप पंजीयक मांढण (कोटपूतली–बहरोड) राज0
8. लैण्ड होल्डरजरिये तहसीलदार मांढण (कोटपूतली–बहरोड) राज0

.... प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

1. श्री प्राणसुख सैनी योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री अरविन्द यादव अधिवक्त प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की ओर से

दावा बाबत हुक्म ईम्तनाई दवामी

।। निर्णय ।।

पत्रावली पेश हुई। दावे मे प्रतिवादी सं0 2 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया गया कि उक्त अनुवानी प्रकरण मे प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध केवल हुक्म ईम्तनाई दवामी का दावा पेश किया हुआ है अन्य कोई अनुताष नहीं चाहा गया है। लेकिन अब प्रतिवादी सं0 1 का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए विवादित आराजी को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा खुर्द बुर्द या बेचान करने का सवाल ही पैदा नही होता है। दावा मे वर्णित आराजी रिकार्ड मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है। इसलिए प्रतिवादी सं0 1 की विरासत का इंतकाल स्वतः ही उनके सभी विधिक वारिसान वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खोला जावेगा। इसलिए प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु के बाद उक्त अनुवानी दावा चलने योग्य नही है। इसलिए उक्त अनुवानी दावा आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 की परिधि मे आने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रतिवादी सं0 2 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दिलवाई गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यो को इंकार करते हुऐ जबाब पेश किया गया

उपखण्ड अधिकारी

कि प्रतिवादी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वादी ने दावा मात्र हुक्म ईम्तनाई दवामी का पेश नही किया गया बल्कि वादी द्वारा घोषणात्मक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी का दावा पेश किया गया है। इसलिए वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे नही आता है। बल्कि दावा का निस्तारण साक्ष्य सबूत के आधार पर किये जाने योग्य है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई ।

उभय पक्षो की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। दावा मे वर्णित वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं0 1 प्रहलादसिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे पेश मृत्यु प्रमाण पत्र के मुताबिक प्रतिवादी सं0 1 प्रहलाद की मृत्यु दिनांक 06.12.2023 को हो चुकी है। वादी द्वारा दावा मे वर्णित भूमि मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्से को अपनी दादालाई की भूमि बताते हुऐ प्रतिवादी सं0 1 के जीते जी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्से मे से 1/7 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने बाबत पेश किया गया। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु हो चुकी है। जिनकी विरासत का इंतकाल उनके सभी विधिक वारिसान जिनमे वादी भी शामिल है,के नाम से खुलेगा। इसलिए मौजूदा वाद प्रतिवादी सं0 1 के जीवनकाल मे ही चल सकता था। प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु के बाद उक्त अनुवानी दावा चलने योग्य प्रतीत नही होता है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर,वादी द्वारा पेश **''दावा बाबत इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी ''** को खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)
नीमराना